



दिनांक - 09.01.2026

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 42,100/- रुपये नकद व अवैध असलाह/कारतूस बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 20.11.2025 को वादी अंश पुत्र संजीव निवासी सुखदेव नगर रुडकी जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता को तमचा दिखाकर ऑफिस में सोफे पर रखे 07 लाख रुपये लूटकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 309(4) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारणी/ईनामियां अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी श्री विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.01.2026 को मुख्यमंत्री की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त राहुल उर्फ अजय पुत्र कृष्णपाल निवासी यारपुर थाना थानाभवन जनपद शामली को गांव छज्जपुरा के तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट के 42,100/- रुपये व 01 तमचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधारी पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 310(2)/317(4)/61 BNS व 3/25 A.Act की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अन्य विवरण:- दिनांक 22.11.2025 को अभियुक्तगण 1. मैनपाल पुत्र लैहना सिंह निवासी टोडा कल्याणपुर थाना गंगनहर जिला हरिद्वार व 2. इरफान पुत्र कदीर निवासी समौली थाना दौराला जिला मेरठ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लूट के 06 लाख 30 हजार रु तथा 02 अदद तमचे व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद कर लिये थे। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 319/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आम्स एकट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त राहुल उर्फ अजय पुत्र कृष्णपाल निवासी यारपुर थाना थानाभवन जिला शामली मौके से फरार हो गया था, जो अभी तक वांछित चल रहा था। अभियुक्त राहुल उर्फ अजय पर 25000/- रु0 का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल उर्फ अजय पुत्र कृष्णपाल निवासी यारपुर थाना थानाभवन जनपद शामली

बरामदगी का विवरण:-

- 42100/- रुपये
- 01 अदद तमचा/01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री लाल सिंह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. उ0नि0 संजय कुमार शर्मा थाना जनकपुरी, सहारनपुर
4. है0का0 574 अश्वनी थाना जनकपुरी, सहारनपुर
5. का0 1804 प्रमोद थाना जनकपुरी, सहारनपुर



दिनांक: 09.01.2026

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 28.09.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नरेंद्र उर्फ सोनू पुत्र आसाराम निवासी चुन्हैटी गाड़ा थाना रामपुर मनि० सहारनपुर द्वारा वादिया के पति को प्रताडित करने, जिससे वादिया के पति द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु०अ०सं० 442/25 धारा 108 बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था ।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नरेंद्र उर्फ सोनू पुत्र आसाराम निवासी चुन्हैटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को ग्राम चुन्हैटी गाड़ा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्याही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभि० नरेंद्र उर्फ सोनू पुत्र आसाराम निवासी चुन्हैटी गाड़ा थाना रामपुर मनि० जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ०नि० श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
- है०का० 158 अमित कुमार थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर
- है०का० 1214 प्रदीप कुमार थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर



दिनांक: 09-01-2026

-प्रेस नोट-

**थाना बेहट पुलिस द्वारा ई-रिक्षा से बैट्री चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिस 04
शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी ई-रिक्षा की 04 बैट्रीया, लोहे की रोड व 01
प्लास, 01 नम्बर प्लेट, घटना में प्रयुक्त 01 सेन्ट्रो कार व 8500/- रूपये नकद बरामद**

घटनाओं का विवरण:-

- दिनांक 12/13.12.2025 को वादी मौ0 आरिफ पुत्र मौ0 मंजूर निवासी ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर से ई-रिक्षा की बैटरी चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 632/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 12/13.12.2025 को वादी दीपक व शुभम पुत्र गण सतपाल निवासी ग्राम दयालपुर थाना बेहट सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के घर से ई-रिक्षा की बैटरी को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 633/25 धारा 305(A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2026 को मुख्यबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमों में विवेचना से प्रकाश में आये 04 वांछित चोर/अभियुक्तगण 1. प्रदीप उर्फ जुम्मन पुत्र भुल्लन निवासी ग्राम देदनौर थाना नकुड जनपद सहारनपुर, 2. शोएब पुत्र इरफान निवासी ग्राम घाना खण्डी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, 3. आशु पुत्र बबलू निवासी ग्राम संतागढ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 4. मुनीर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम घोघरेकी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को ग्राम मलकपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। कब्जे/निशानदेही पर ई-रिक्षा की 04 बैटरी, लोहे की रॉड, 01 प्लास, एक नम्बर प्लेट UP11AM4557 व घटना में प्रयुक्त 01 सेन्ट्रो कार UP-11-AM-4557 व 8500/- रूपये नकद 36 ई-रिक्षा बैटरी को बेचकर अर्जित धनराशि (सम्बन्धित मु0अ0सं0 581/25 धारा 305(A) बीएनएस थाना गंगोह) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मात्र 0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग चोरी करने के आदी हैं। बरामद 04 बैटरियों के बार में पूछने पर बताया कि दिनांक 12.12.2025 की रात में गाँव ताजपुरा से घर के बाहर खड़ी ई-रिक्षा से चोरी की थी, और उसके बाद उसी रात को हमने गाँव दयालपुर में एक घर में खड़ी दो ई-रिक्षा से चार बैट्री चोरी की थी, जिनमें से दो बैट्री हम लोगों ने अज्ञात राह चलते कबाड़ी को बेच दी थी, आज इन बैट्रीयों को बेचने तथा चोरी की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में योजना बना रहे थे। बरामद रूपयों के बारे में पूछने पर बताया गया कि नवम्बर के महीने में हम तीनों ने गंगोह में नगर पालिका के गोदाम में खड़ी ई-रिक्षाओं से करीब 36 बैट्रीया चोरी की थी, हम लोगों के पास से जो पैसे मिले हैं उन्हीं बैटरियों को बेचकर जो पैसे आये थे उन्हीं पैसों से खर्च करने के बाद बचे पैसे हैं। जो गाड़ी है उसको हम लोग चोरी की वारदातों में इस्तेमाल करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

- शोएब पुत्र इरफान निवासी ग्राम घाना खण्डी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
- प्रदीप उर्फ जुम्मन पुत्र भुल्लन निवासी ग्राम देदनौर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
- आशु पुत्र बबलू निवासी ग्राम संतागढ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
- मुनीर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम घोघरेकी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

अभियुक्त शोएब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0- 8/20 धारा- 379/411/420/457 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

2. मु030सं0- 141/22 धारा- 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. मु030सं0152/22 धारा- 307 भादवि थाना थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. मु030सं0 155/22 धारा- 4/25 आर्स्स एकट भादवि थाना थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
5. मु030सं0 156/22 धारा- 3/5ए/8 गोवध अधिरो भादवि थाना थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
6. मु030सं0 157/22 धारा- 414 भादवि भादवि थाना थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
7. मु030सं0 228/22 धारा- 2/3 यूपी गेंगस्टर एकट भादवि थाना थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
8. मु030सं0 390/23 धारा- 380/411/457/120बी भादवि थाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. मु030सं0 412/23 धारा- 379/411/120 बी भादवि थाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
10. मु030सं0 420/23 धारा- 379/411/120 बी भादवि थाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
11. मु030सं0 477/23 धारा- 307/420 भादवि व 3/25 आर्स्स एकट थाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
12. मु030सं0 36/24 धारा- 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्स्स एकट थाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
13. मु030सं0 63/24 धारा- 307 भादवि व 3/25/27 आर्स्स एकट थाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
14. मु030सं0 172/24 धारा- 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
15. मु030सं0 173/24 धारा- 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
16. मु030सं0 624/24 धारा- 3/5ए/8 गोवध अधिरो थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
17. मु030सं0 118/23 धारा-307/465/120बी भादवि व 3/25/27 आर्स्सएकट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
18. मु030सं0 632/2025 धारा 303(2)/ 317(2)/3(5) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
19. मु030सं0 633/2025 धारा 305(ए)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
20. मु030सं0 581/25 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रदीप उर्फ जुम्मन उपरोक्त

1. मु030सं0- 246/21 धारा- 379/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. मु030सं0- 251/21 धारा- 147/148/149/307 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. मु030सं0 632/2025 धारा 303(2)/ 317(2)/3(5) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु030सं0 633/2025 धारा 305(ए)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु030सं0 581/25 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 04 चोरी गयी ई-रिक्शा की बैट्री
- 01 लोहे की रॉड
- 01 पलास
- 01 सेन्ट्रो कार UP11AM4557 (घटना में प्रयुक्त)
- 01 नम्बर प्लेट UP11AM4557
- 8500/- रुपये नगद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरुण कुमार चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 1850 मंजीत सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 09.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक को 0देहात श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त प्रवीण उर्फ काला पुत्र लीला निवासी ग्राम चकदेवली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद संख्या 49/22 धारा 363/376 भादवि व ¾ पोक्सो एकट चालानी थाना कोतवाली देहात में थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

प्रवीण उर्फ काला पुत्र लीला निवासी ग्राम चकदेवली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 भीमप्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
- का0 2201 विपन कुमार थाना को 0देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दहेज हत्या मे फरार चल रहा वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2026 को वादी श्री नाथीराम पुत्र श्री मंगू राम निवासी ग्राम लोधीपुर थाना बेहत जिला सहारनपुर द्वारा उसकी पुत्री राधा से दहेज मे आल्टो कार व 2.5 लाख रुपये की मांग करना व मांग पूरी न होने पर पुत्री राधा की हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 16/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 के पंजीकृत कराया गया था।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त सुजीत पुत्र योगेश कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर भूखड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र कोतवाली देहात से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

अभियुक्त सुजीत पुत्र योगेश कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर भूखड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
- उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
- का0 1716 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
- का0 1932 बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक 09-01-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 04 वर्ष 02 माह का कारावास व 05 हजार 05 सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2017 को वादी उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1-इरशाद पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम मौहम्मदपुर राई कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली, 2-राघव पुत्र प्रीतम सिंह निवासी मौ0 सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मु0नगर, 3-सलीम उर्फ गुड्डू पुत्र नफीस निवासी नीलाखेड़ा थाना व कस्बा झिंझाना जनपद शामली, 4-अमजद पुत्र रियासत निवासी ग्राम कसरेलुआ थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर, 5-राशिद पुत्र जुल्फकार निवासी मौ0 खैल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली, 6-नदीम पुत्र तस्लीम निवासी ग्राम सखर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर, 7-इसरार पुत्र फुरकान निवासी मौ0 कुरेशियान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व 8-शहजाद पुत्र अय्यूब निवासी गुज्जरवाला मंगलौर अडडा थाना देबबंद जनपद सहारनपुर द्वारा डैकेती की योजना बनाने व पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व दो अभियुक्त का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने व एक अन्य मुकदमें की धारा 356 भादवि से संबंधित माल बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-333/2017 धारा 147,148,149,399,402,307 भादवि थाना कुतुबशेर व अभियुक्त शहजाद पुत्र अय्यूब के कब्जे से एक अदद तमचा व एक अदद खोका कारतूस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-340/2017 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग क्रमशः एसटी नं0-2245/2024 व 607/2017 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मानिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 09.01.2026 को अभियुक्त शहजाद पुत्र अय्यूब निवासी गुज्जरवाला मंगलौर अडडा थाना देबबंद जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-333/2017 धारा 147,148,149,399,402,307 भादवि व मु0अ0स0-340/2017 धारा 3/25 आर्मस एक्ट में दोषी पाते हुए कुल 04 वर्ष 02 माह का कारावास व 05 हजार 05 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:- शेष अभियुक्तों का वाद मा0 न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री शिव सिंह सैनी

विवेचक- निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह

पैरोकार- का0 2563 नरेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर सहारनपुर



दिनांक- 09.01.2026

-प्रेस नोट-

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरुद्ध कार्यवाही !!

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत- थाना चिलकाना पुलिस टीम व मिशन शक्ति टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 45 पव्वे/फुटी महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम व मिशन शक्ति टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:

दिनांक 09.01.2026 को थाना चिलकाना पर मिशन शक्ति टीम प्रभारी म0उ0नि0 श्री सुमन द्वारा मय हमराह कर्मचारी के चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन व गस्त के दौरान शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले अभियुक्त गुलफाम उर्फ पप्पन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर को सुल्तानपुर से पाजबाँगर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 45 पव्वे/फुटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0आ0सं0 17/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम पता:-

गुलफाम उर्फ पप्पन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ कुल 45 पव्वे/फुटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1- म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- है0का0 776 राहुल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- म0है0का0 257 रचना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 4- का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 09-01-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा गाली-गलौच कर मारपीट करने के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 30.12.2025 को वादी महबूब पुत्र हनीफ निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. अरबाज पुत्र नौशाद, 2. नौशाद पुत्र शमशाद, 3. सबदर पुत्र शमशाद व 4. दानिश पुत्र नानू निवासीगण ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 679/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **02 वांछित अभियुक्तगण** 1. दानिश पुत्र मोबीन निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट सहारनपुर व 2. सबदर पुत्र शमशाद निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट बेहट जनपद सहारनपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- दानिश पुत्र मोबीन निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट सहारनपुर
- सबदर पुत्र शमशाद निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 श्री करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- हे0का0 95 राजेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 09.01.2025

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा टोल प्लाजा पर आपराधिक षडयन्त्र के तहत धोखाधड़ी कर कूटरचित रशीद तैयार कर किसानो/ट्रैक्टर चालको से अवैध धन उगाही करने वाले 04 अभियुक्त टोल प्लाजा मालिक) (सहित टोल प्लाजा कर्मी गिरफ्तार कब्जे से ,01 रसीद बुक, 08 रसीद 130 रुपये की कटी हुई, 03 पर्ची (जिन पर वसूले गये 130 रुपये का विवरण) बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 09.01.2026 2026 को श्री राम प्रसाद गुप्ता क्षेत्रीय लेखपाल तहसील सदर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. कमलजीत सिंह सरसावा टोल प्लाजा मालिक, 2. कालू सिंह राणावत सरसावा टोल मैनेजर, 3. सागर पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 4. अक्षय कुमार पुत्र राजपाल निवासी जुड़ड़ी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर व अन्य अज्ञात द्वारा एक राय होकर आपराधिक षडयन्त्र के तहत धोखाधड़ी कर कूटरचित रशीद तैयार कर किसानो/ट्रैक्टर चालको से अवैध धन उगाही करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0300सं0 13/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 308(2), 61(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री प्रवेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2026 को मुख्यमंत्री की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए आपराधिक षडयन्त्र के तहत धोखाधड़ी कर कूटरचित रशीद तैयार कर किसानो/ट्रैक्टर चालको से अवैध धन उगाही करने के मुकदमें में 04 वांछित अभियुक्तगण 1. कमलजीत सिंह पुत्र कुलतार सिंह (सरसावा टोल प्लाजा मालिक) निवासी शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 2. कालू सिंह राणावत पुत्र भोपाल सिंह (सरसावा टोल मैनेजर) निवासी प्रेमदिया खेड़ा थाना सदर निमेडा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान हाल पता सरसावा टोल प्लाजा अम्बाला रोड थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 3. अक्षय कुमार पुत्र राजपाल निवासी जुड़ड़ी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर व 4. सागर पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर को विस्तारा रेस्टोरेन्ट के सामने रेस्ट एरिया देहरादून-अम्बाला रोड से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 रसीद बुक, 08 रसीद 130 रुपये की कटी हुई, 03 पर्ची (जिन पर वसूले गये 130 रुपये का विवरण) बरामद गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मात्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. कमलजीत सिंह पुत्र कुलतार सिंह (सरसावा टोल प्लाजा मालिक) निर्माण शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. कालू सिंह राणावत पुत्र भोपाल सिंह (सरसावा टोल मैनेजर) निर्माण प्रेमदिया खेड़ा थाना सदर निमेडा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान हाल पता सरसावा टोल प्लाजा अम्बाला रोड थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. अक्षय कुमार पुत्र राजपाल निवासी जुड़ड़ी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
4. सागर पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

ब्रामदगी का विवरण

- 01 रसीद बुक
- 08 रसीद 130 रूपये की कटी हुई
- 03 पर्ची जिन पर वसूले गये 130/- रूपये का विवरण

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 धीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 115 अनुज कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2466 रोहित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 2431 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. का0 1773 राहुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 09.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अतिक्रमण करने वाले व रास्ते में आने जाने वाले लोगों से आमदा फसाद करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी व अतिक्रमण हटाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण 1. मोहन पुत्र धर्मपाल निवासी अहमद बाग राणा वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व 2. आरिफ पुत्र असरफ निवासी अहमद बाग राणा वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 3.इस्तकार पुत्र हाजी इसरार निवासी अहमद बाग राणा वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण द्वारा स्वाती होण्डा वाली गली में अपनी अपनी मोटरसाईकिल की दूकान के सामने मुख्य सड़क पर मो0सा0 ठीक करने का कार्य किया जा रहा था जिस कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी उपरोक्त 1.मोहन व 2.आरिफ 3.इस्तकार को बार बार समझाया गया कि अपनी मोटर साइकिल रिपेयर का कार्य अपनी अपनी दूकान के अन्दर करे जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो लेकिन ये तीनों नहीं माने और मौके पर मौजूद लोगों के साथ तेज स्वर में बोलने लगे और मारपीट को अमादा हो गये। सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 170/136/126 बीएनएनएस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोहन पुत्र धर्मपाल निवासी अहमद बाग राणा वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. आरिफ पुत्र असरफ निवासी अहमद बाग राणा वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. इस्तकार पुत्र हाजी इसरार निवासी अहमद बाग राणा वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सोहनवीर सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 266 धीरज कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।